बिहार सरकार

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

कार्यालय आदेश

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक–83 दिनांक–09.01.2026 के आलोक में बिहार सरकार के सात निश्चय–3 के सातवें निश्चय "सबका सम्मान–जीवन आसान" (Ease of Living) के तहत युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग में सप्ताह के दो कार्यदिवसों (सोमवार एवं शुक्रवार) को आमलोगों की शिकायतों को सुनकर उनका त्वरित निराकरण किया जाना है।

2. निर्धारित दोनों कार्यदिवसों को निदेशक आमलोगों से अपने कार्यालय कक्ष में मिलेंगे। यदि निदेशक किसी अपरिहार्य कारणवश कार्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं तो उनके स्थान पर श्री सुरेश कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक (LWE) आम लोगों से मिलेंगे। यदि संयुक्त निदेशक (LWE) भी अपरिहार्य कारणवश कार्यालय में उपस्थिति नहीं रहते हैं तो उनके स्थान पर श्री राकेश रंजन, संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण आम लोगों से मिलेंगे।

3. आगन्तुकों / शिकायतकर्ताओं के लिए बैठने की व्यवस्था, पेयजल आदि सुविधाओं को क्रय शाखा द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

4. आगन्तुकों से प्राप्त शिकायतों की पंजी का संधारण एवं शिकायतों के सतत् अनुश्रवण की व्यवस्था स्थापना शाखा द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

16/1/26

निदेशक

नियोजन एवं प्रशिक्षण,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक–111/2(?)6 दिनांक–16.1.26

प्रतिलिपिः– निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण बिहार, पटना के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. सचिव के आप्त सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, को सूचनार्थ प्रेषित।

3. श्रीमति प्रियेश नंदनी, आई०टी० मैनेजर, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं इस कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार करने हेतु प्रेषित।

16/1/26

निदेशक

नियोजन एवं प्रशिक्षण,

बिहार, पटना।